

Date 27/07/2020

Page 1 of 4

CLASS : B.A.(H) PART-2ND

By, OM KUMAR SINGH  
ASSISTANT PROFESSOR  
DEPTT. OF POL. SC.

SUBJECT : POLITICAL SCIENCE

D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

PAPER : III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

LNMU, DARBHANGA

CH-5 (DIRECTIVE PRINCIPLES OF State Policy - DPSP)

LECTURE NO. 23 (TWENTY THREE)

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व :-

Importance of Directive Principles of State Policy

संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

से निर्देशक तत्वों का बड़ा ही महत्व है। डॉ० पायली के अनुसार, इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। डॉ० अंबेडकर के शब्दों में, " नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य 'आर्थिक लोकतंत्र' को निर्धारित करते हैं जैसा कि 'राजनीतिक लोकतंत्र' में प्रकट होता है।" बी०एन० राव के अनुसार, " नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है।"

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की हम

इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:-

(1) सरकार के लिए निर्देशक:-

संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप कहा गया है कि ये तत्व मौलिक हैं और कानून बनाकर लागू करना राज्य का कर्तव्य है अर्थात् इन तत्वों को शासन के सर्वोच्च आदेश घोषित किया गया है। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि नीति-निर्माण करते समय इसे ध्यान करें तथा यथा सम्भव इसे लागू करें। इस प्रकार ये राज्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं।

Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2) नीतिक आदर्शों के रूप में -

ये विद्वान् ज्ञातव्य राज्य के लिए नीतिक आदर्शों के समान हैं। लोकतंत्रिय व्यवस्था में राजनीति का आधार नीतिकता होनी चाहिए।

3) संविधान की व्याख्या में सहायक -

ये विद्वान् संविधान की व्याख्या करने में भी सहायक हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करने के दौरान सदैव ही नीति विवेक विद्वान् के व्यापक रहना है। न्यायपालिका ने हमेशा ही इन तर्कों को संविधान - निर्माताओं की इच्छा एवं सम्पूर्ण राष्ट्र की इच्छा माना है।

गोपालन बनाम मद्रास राज्य में संविधान न्यायाधीश श्री केनिया ने कहा, "राज्य के नीति-निष्ठ विद्वान् संविधान का भाग है इस कारण वह समस्त राष्ट्र के विवेक के प्रतिवृत्त, न कि बहुमत हल के इच्छा के प्रतिवृत्त हैं; जिन्हें संविधान सेवा के द्वारा प्रकट किया गया, जिसके समस्त हेतु एवं लक्ष्य तथा स्थायी कानून बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।"

4) राज्य के कार्यों को जाँचने की कसौटी -

ये तर्क राज्य के कार्यों को जाँचने का मापदण्ड भी है। इसके द्वारा जनता सरकार के कार्यों का अवलोकन करती है, पश्यती है कि सरकार द्वारा इन तर्कों के अन्तर्गत जिन कार्यों का वर्णन है, क्रियान्वित किया गया, व्यवहार में लाया गया अथवा नहीं। यदि जनता को लगता है सरकार द्वारा लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सही तरीके कार्य नहीं किए गए हैं तो उसे जनता से बाहर कर देती है।

अंगवैभूषण

Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

(5) निदेशावतलों के पीछे जनमत की शक्ति :-

वेबे ये व्याख्या में प्रवर्तनीय नहीं हैं अर्थात् इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है, परन्तु जनमत की शक्ति है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें जनता की इच्छाओं की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं अर्थात् जनमत की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं। यदि ऐसा करने का हुंसाहस करेंगी तो जनता उसे सत्ता से बाहर का शस्ता भी हिखा देगी।

प्रो. एम. वी. पायली के अनुसार "यैतव शहरीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिन्के द्वारा इन तलों का अल्पंजन किया जाता है, वे ऐसा कार्य अन्तर्हायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं।"

(6) चरम सीमाओं से सुरक्षा :-

लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन-शील जनमत के परिणामस्वरूप कभी एक विचारधारा वाले हल सत्ता ग्रहण करते हैं तो कभी दूसरे विचारधारा वाले हल। जैसे-कभी हाथिणपंथी तो कभी कामपंथी विचारधारा वाले तो, कभी अन्य विचारधारा वाले हल सत्ता ग्रहण करते हैं। निदेशावतलों की प्रकृति के सरकारी के मर्यादा बनाने रखने का कार्य करते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार के एकतरफ़ झुकाव रखने से रोकने का भी कार्य करते हैं।

Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

(7) कार्यपालिका प्रधान द्वारा निर्देशक तत्वों का दुरुपयोग सम्भव नहीं है -

निर्देश तत्वों से सम्बंधित विषयों पर बनार जाने वाले कानून हेतु सरकार द्वारा पार गार विधेयक पर कोई भी कार्यपालिका प्रधान अस्वीकार करने का दुरुसाहस नहीं कर सकता है। डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में, " विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते।"

इस प्रकार वास्तव में निर्देशक तत्व या सिद्धांत राष्ट्रीय शासन का सर्वोच्च सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने पर ही भारत में सफल लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। संप्रति में हम कह सकते हैं कि अगर इन निर्देशक सिद्धांतों को अचूक तरह व्यावहारिक रूप दिया जाए तो इमारत देश पृथ्वी पर स्वर्ग के समान ही शकता है।



संभावित परनः

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ~~कार्यपालिका~~ मंडलों का वर्णन भी जरूर ।